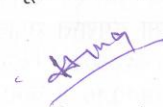


17. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों स्टक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिये आवेदक एवं निर्माणकर्ता कम्पनी जिम्मेदार होगी तथा दुर्घटनाओं की क्षति के लिये निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. निर्माण के समय यथासम्भव सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
19. विकलांग व्यक्तियों के सुगम आवागमन हेतु नियमानुसार रैम्प आदि सभी मानकों का प्राविधान करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : भूखण्ड सं० ए-16, आर.डी.सी., गाजि० के शमन मानचित्र की एक प्रति।


अवर अभियन्ता (प्रवर्तन)


सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)